फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 125 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 6 दिसम्बर, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBIT

Buddhism began in China with a Han Emperor's Dream

Emperor Ming saw the *Buddha* in a dream, and sent a mission to India, triggering a chain of events that led to Buddhism's rise in China.

Kai Experience @Leela palace

The sit down began with a 'jewelled' *Kachori*. Now, could it get better in a city of jewellers?

अमेरिका ''क्रिसमस ट्री'' के आयात पर भारी शुल्क लगायेगा!

चीन व अन्य देशों (जैसे कैनडा व मैक्सिको) से अमेरिका में आयात हो रहे सामान के खिलाफ उन्माद जैसा वातावरण पैदा हो गया है अमेरिका में, चुनाव अभियान के दौरान ट्रम्प द्वारा दिये गये उत्तेजनात्मक भाषणों के कारण

- **क्रिसमस के दौरान लगभग हर घर में क्रिसमस ट्री सजाने का सदियों पुराना रिवाज़ है।**
- **हर साल अमेरिका तीन अरब डॉलर की कीमत के क्रिसमस ट्री आयात करता है।**
- **इस लय में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प ने ''ब्रिक्स'' देशों को चेतावनी दी है, कि अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर का उपयोग घटाने की सोची अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो, वो ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिका निर्यात की गई वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगायेंगे।**
- **अमेरिका ने अपनी ''फाइनैंशियल'' ताकत का उपयोग करते हुए, यूक्रेन पर रुस के आक्रमण के बाद, रुस से खरीद -फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया था। तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों को सैटलमेंट करने के लिये उपयोग में आने वाले सिस्टम ''स्विफ्ट'' से रुस को वंचित कर दिया था, और धमकी दी थी, कि जो भी देश रुस से माल खरीदेगा उसे भी ''स्विफ्ट'' सैटलमेंट सिस्टम से निकाल दिया जायेगा।**
- **भारत भी चीन से फार्मास्युटकल उद्योग में आने वाले मूल कैमिकल ए.पी.आई. पर इतना निर्भर है कि भारत चीन से आयात पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में नहीं है। यह ही स्थिति चीन से आयात किये जा रहे इलैक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनैंट की है। उदाहरण के लिये, दिवाली के सीज़न में चीन आयातित सजावटी बल्ब, देवी-देवताओं की प्लास्टिक की मूर्तियां आदि के जहाज पर जहाज भारत आते हैं चीन से, पर भारत इस आयात पर इतना आश्रित है, कि प्रतिबंध लगाने की सोच भी नहीं रहा।**

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर। न्यूयॉर्क के भव्य रॉकफैलर प्लाज़ा में पहला क्रिसमस ट्री जगमगाने लगा है और अमेरिका में विदेश से आयातित क्रिसमस ट्री पर शुल्क लगाने की चर्चा हो रही है। यह जानकारी दी एक स्थानीय समाचार संगठन ने। अमेरिका में चीन व अन्य देशों यहां तक कि कैनडा और मैक्सिको से आयात के खिलाफ भारी माहौल है।

क्यों ना हो, अपने चुनाव प्रचार के ट्रम्प ने शिकागो इकोनॉमिक क्लब के समक्ष कहा था कि डिक्शनरी का सबसे खूबसूरत शब्द ''टैरिफ'' है। इसका अर्थ है कि ट्रम्प और अमेरिका ट्रेड को ''टैरिफ'' से सुंदर बनाएंगे।

लेकिन यह भी सत्य है कि अमेरिका हर साल लगभग तीन अरब डॉलर के क्रिसमस ट्री आयात करता है। स्थानीय क्रिसमस ट्री निर्माता इसका भारी विरोध करते रहे हैं क्योंकि चीन से हो रहे सस्ते आयात के कारण उनका धंधा चौपट हो गया है और अब वे खुश हैं कि अंततः उनके लिए कुछ किया जाएगा। भारत में दीवाली के आसपास त्यौहार से संबंधित बहुत सा सामान चीन से आयात किया जाता है, जिसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट में जज बने

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर। न्यायमूर्ति मनमोहन, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति मनमोहन के शपथ लेने के साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब 32 हो गई है, जो 34 जजों की स्वीकृत संख्या से

- **इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई है। पूर्ण क्षमता 34 जज की है।**

दो कम है। सर्वोच्च न्यायालय की कोलीजियम जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के अतिरिक्त न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सूर्यकान्त, ऋषिकेश रॉय तथा अभय एस. ओका शामिल हैं, ने 28 नवम्बर को सर्वसम्मति से दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नयन की सिफारिश की थी।

1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेन्टर से एल.एल.बी. करने तथा उसी साल दिल्ली की बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकित होने के बाद, उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टीट्यूशनल, टैक्सेशन, आर्बीट्रेशन, ट्रेडमार्क तथा सर्विस मैटर्स

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राहुल गांधी अव्वल नम्बर के गद्दार हैं'

भाजपा ने सदन में व सदन के बाहर राहुल गांधी पर संगीन आरोप लगाया, और कहा, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरॉस, न्यूज पोर्टल ओ.सी.सी.आर.पी व राहुल गांधी एक शक्तिशाली ''तिकड़ी'' है, जो मिलकर संगठित तरीके से भारत को बदनाम करने व नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती

- **भाजपा के अनुसार ऐसा ही दुष्प्रचार भारत में विकसित व निर्मित कोविड की वैक्सीन के बारे में किया गया था।**
- **और अब भारत के एक उद्योगपति को निशाना बनाया जा रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों का भारत की इकॉनमी में विश्वास डिगाने के लिये।**
- **भाजपा ने फ्रांस में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट, मीडिया पार्ट में प्रकाशित, को आधार बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, अपने आप को विश्व में खोजी पत्रकारिता की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेन्सी बताने वाली ओ.सी.सी.आर.पी., जिसका मुख्यालय एम्स्टरडम में है, अमेरिकी सरकार व राहुल गांधी में एक साठ-गांठ है। तथा यह भी कहा कि ओ.सी.सी.आर.पी., भी अमेरिकी अरबपति सोरॉस के पैसे से चलती है, तथा न्यूज़ एजेन्सी ओ.सी.सी.आर.पी., अमेरिकी सरकार व राहुल गांधी सुनियोजित तरीके से भारत की छवि बिगाड़ने के अभियान को संचालित करते हैं।**

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर। सत्तारुढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच तब जबर्दस्त वाकयुद्ध छिड़ गया जब सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को ''ट्रेटर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर'' कहा। राहुल गांधी, अमेरिका की कुछ एजेंसियां और अरबपति जॉर्ज सोरॉस भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे है।

कांग्रेस ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया और विपक्ष के नेता पर आरोप लगाने की आलोचना की और एक अन्य भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा, जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की, प्रियंका हाल ही में वायनाड से चुनाव जीत कर सांसद बनी हैं।

दुबे की टिप्पणी के बाद भारी हंगामा हुआ और लोकसभा स्थगित करनी पड़ी ऐसा ही हंगामा राज्यसभा में हुई क्योंकि भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया विदेश से राष्ट्रीय हितों पर संदिग्ध हमले हो रहे हैं। विदेशी प्रकाशनों व स्वतंत्र विदेशी संगठनों के आकलन को संदेह की नज़र से देखने वाली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अडानी ग्रुप को देश भर में सोलर पावर अनुबंधन नई नीलामी प्रक्रिया के कारण मिले'

दिल्ली की ''रिपोर्टर्स कलैक्टिव'' ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दुर्भागय की बात है, सोलर पावर प्लान्ट्स के विवाद में ध्यान केवल प्रदेश स्तर पर केन्द्रित हो गया है

- **पर, सबसे बड़ी भूमिका रिन्युएबल एनर्जी विभाग व उसकी संस्था एस.ई.सी.एल. की है, जिसने अनुबंधन की शर्तें इस प्रकार की बनाईं कि, एक औद्योगिक घराने को हो सभी पावर परचेज़ एग्रीमेंट करने का एकाधिकार मिला।**

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 दिसंबर। अमेरिका ने भारत के टॉप बिज़नैसमैन गौतम अडानी तथा सात अन्य लोगों पर, पावर सप्लाई डील्स के लिए, भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगाए थे।

एक तरफ जहां, अडानी रिश्वत काण्ड में सार्वजनिक बहस का फोकस राज्य स्तरीय राजनीतिज्ञों व अधिकारियों की भूमिका पर है, वहीं, दिल्ली की संस्था ''रिपोर्टर्स कलैक्टिव'' की जांच में सामने आया है कि यू.एस. के अधिकारियों ने जिसे ''द करप्ट सोलर प्रौजैक्ट'' (भ्रष्ट सौर परियोजना) का नाम दिया, वो एक संदिग्ध ऑक्शन (नीलामी) से उत्पन्न हुई थी, जिसे केन्द्रीय सरकार ने सौर ऊर्जा खरीदने के लिए पहले से तैयार किया हुआ था।

रिपोर्टर्स कलैक्टिव की जांच से पता चलता है कि ऊर्जा मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय और इसकी एक शाखा, एन.ई.जी.आई., ने विशेष रूप से अडानी समूह के लिए एक सौर ऊर्जा नीलामी तैयार करने और आठ गीगावॉट बिजली सप्लाई के लिए अनुबंध हासिल करने में समूह की मदद की, जबकि, इसने मूलरूप से केवल चार गीगावॉट परियोजना के लिए बोली लगाई थी।

सोलर पावर नीलामी की प्रक्रिया ने अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा को निरूत्साहित किया और अडानी समूह के लिए, अगले 25 वर्षों के लिए हज़ारों करोड़ रुपये की महंगी बिजली बेचने का अनुबंध हासिल करने का रास्ता साफ कर दिया।

एक मानदंड, जिसके कारण अधिकतर सौर ऊर्जा उत्पादक नीलामी प्रक्रिया के बाहर रह गए, यह थी, कि वो ही कम्पनियाँ प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं, जो सौलर पावर कॉम्पोनैन्ट्स (कल-पुर्जे) भी बनाती हैं। इससे ''मैनुफैक्चरिंग लिंक्ड ऑक्शन्स'' का नाम दिया गया। भारत में बहुत कम कंपनियाँ ये दोनों काम करती हैं। लेकिन निस्संदेह अडानी ग्रुप ऐसी एक कंपनी थी। नीलामी की असाधारण शर्तों तथा मंत्रालयों और एस.ई.सी.आई. द्वारा लाई गई अनेक छूटों ने सुनिश्चित किया कि अडानी समूह प्रतिस्पर्धा में प्रमुख खिलाड़ी रहे। प्रतिस्पर्धा में केवल दो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डैंटल ऑफिसर भर्ती -2024 के परिणाम पर से रोक हटी

जयपुर, 5 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने डैंटल ऑफिसर भर्ती-2024, के विवादित प्रश्न-उत्तर से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश भरत बेनीवाल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने गत दिनों सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला

- **विवादित प्रश्न-उत्तर से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज करके इस रोक को हटा दिया।**

सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने गत 24 अक्टूबर को भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। याचिकाओं के खारिज होने से परिणाम जारी होने पर लगी रोक भी हट गई है।

याचिकाओं में कहा गया था कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने डैंटल ऑफिसर के 209 पदों के लिए गत 31 मई को भर्ती निकाली। विवि की ओर से 18 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और बाद में अभ्यर्थियों से आपत्तियां

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''समझौते'' के बाद दोनों सदनों में कुछ कामकाज हुआ गत तीन दिन

कांग्रेस ने भाजपा से, राहुल गांधी पर लगाये गये बेबुनियाद, घिनौने आरोप के कारण ''सदन'' में माफी मांगने की मांग की

- **इस मुद्दे पर कांग्रेस ने यह भी कहा कि, ''अडानी के एजेन्टों'' को एक ही काम सौंपा गया है, उन लोगों की प्रतिष्ठा पर आक्रमण करे और उनसे गाली गलौच करें, जो अडानी के ''साम्राज्य'' पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।**
- **राहुल गांधी व कांग्रेस के कुछ सांसदों ने जैकेट पहनी थी, जिस पर लिखा था, ''मोदी अडानी एक हैं''। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री किरन रिजीजू ने कटाक्ष किया, कांग्रेस संसद में ''फैशन शो'' कर रही है।**
- **कार्यवाही के दौरान, कुछ सांसदों ने, मार्क्सवादी पार्टी के रहीम, बीजू जनता दल की सुलातो देव, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, द्रमुक की कनिमोई, ने इस बयान पर आपत्ति की, कि नये विधेयकों के मार्फत हिन्दी थोपने का प्रयास हो रहा है। ''एयर क्राफ्ट बिल 2024'' को भारतीय वायुयान विधेयक 2024, तथा इण्डियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बताकर संसद में पेश किया गया है।**
- **टी.एम.सी. के सौगात रे ने कहा, नीति आयोग ने कहा है, किसी भी पार्टी को दो से ज्यादा हवाई अड्डों के संचालन का काम नहीं देना चाहिये, पर अडानी ग्रुप के पास आठ हवाई अड्डों के संचालन का काम है।**

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर। लोकसभा में प्रश्नकाल भारी अशांति के साथ खत्म हुआ। यही हाल राज्यसभा में भी देखा गया। राज्य सभा में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को ज्यादा समय दिया जाना विपक्ष को नागवार गुजरा तथा विपक्ष के प्रकोप के चलते राज्य सभा कुछ पहले ही स्थगित करनी पड़ी, भले ही यह स्थगन अस्थाई था।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र तथा विपक्षी सदस्यों के बीच बनी सहमति के बाद, संसद किसी तरह मंगलवार से पिछले तीन दिनों में काम-काज करने की स्थिति में आ गई थी।

कांग्रेस ने माँग की कि राहुल गांधी पर की गई अपनी टिप्पणी के लिये भाजपा सांसद निशिकान्त दुबे माफी माँगें। एक विदेशी निवेशक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच सम्बन्ध होने की टिप्पणी को लेकर निशिकान्त दुबे पर प्रहार करते हुये, कांग्रेस ने कहा कि ''अडानी के एजेंटों'' को केवल यही काम सौंपा गया है कि वे लोग उनको बदनाम करें तथा उनके लिये अपशब्दों का प्रयोग करें, जो उस व्यवसायी का पर्दाफाश कर रहे हैं।

किरेन रिजिजू के यह कहने, कांग्रेस पार्टी सदन उद्दण्ड व्यवहार कर रही है, के बाद भी लोकसभा में हंगामा चलता रहा। रिजिजू ने कहा, ''कांग्रेस ने सदन में इस प्रकार के कपड़े पहनकर आने का फैशन शो शुरू कर दिया है, हम इसकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टैटू के कारण अयोग्य घोषित को चयन प्रक्रिया में शामिल करें

जयपुर, 5 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय पुलिस बल की कांस्टेबल भर्ती में दाएं हाथ की कलाई पर टैटू के कारण अयोग्य घोषित किए

- **हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिये कांस्टेबल का एक पद खाली रख उसका भर्ती परिणाम सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश करने के निर्देश दिये।**

अभ्यर्थी को राहत दी है। अदालत ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह याचिकाकर्ता को अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल करे। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती का परिणाम जारी कर, उसे सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है। वहीं, अदालत ने एक पद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गैर आर.ए.एस. से आई.ए.एस. पदोन्नति का रास्ता साफ

हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज की, पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया

- **याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य व केंद्र सरकार पदोन्नति के लिये रिक्त सीटों की 15 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को गैर कानूनी तरीके से ''कोटे'' की तरह इस्तेमाल कर रही हैं।**
- **हाईकोर्ट ने कहा कि आर.ए.एस. से आई.ए.एस. पद के लिये पदोन्नत होने के लिये अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत की है। और इस प्रक्रिया में ''कोटा'' शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताना अनावश्यक है।**
- **वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि नियम में 15 प्रतिशत रिक्त पद गैर आर.ए.एस. से भरे जाने के लिये ''विशेष परिस्थितियों'' का वर्णन है, जिन्हें ''आउटस्टेंडिंग'' श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जा सकता है।**
- **उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि इस वर्ष ऐसी क्या विशेष या विकट स्थिति थी कि उन्हें 15 प्रतिशत सीटें इन अभ्यर्थियों से भरनी पड़ीं।**

- यादवेंद्र शर्मा -

जयपुर, 5 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर आर.ए.एस. सेवा से अभ्यर्थियों को आई.ए.एस. के पद पर पदोन्नत किये जाने के लिये नियमों को गलत तरीके से लागू करने और 15 प्रतिशत कोटा बनाये जाने के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज किया है। अदालत ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद और अन्य 22 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नियमानुसार गैर आर.ए.एस. से आई.ए.एस. पद के लिये पदोन्नत होने के लिये अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत की है। और जहां तक इस पदोन्नति की प्रक्रिया में सरकार की नोट शीट में ''कोटा'' शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताना बेबुनियाद है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सलाह-मशवरे पर ही हर वर्ष इन पदों की रिक्तियां निर्धारित की जाती हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इन पदोन्नतियों के लिये नियम में वर्णित ''विशेष परिस्थितियां'' राज्य सरकार के आकलन का विषय है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की राय के बाद ही इन पदों पर पदोन्नति करती है।

न्यायाधीश पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका परोक्ष कारणों की वजह से दायर की है जिसमें कोई महत्व नहीं है और इसी मामले में सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) के आदेश को सही माना। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज करने से गैर आर.ए.एस. से आई.ए.एस. में पदोन्नति पर 7 जुलाई, 2023 को लगी रोक भी भी हट गई है।

अदालत ने कहा कि याचिका गैर आर.ए.एस. श्रेणी से भर्ती को रोकने के लिए गलत इरादे से दायर की गई है। ऐसे में पूर्व में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपील खारिज करने में कोई गलती नहीं की है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगाई गई हर्जाना राशि चार सप्ताह में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए। यदि तय अवधि में राशि जमा नहीं होती है तो प्राधिकरण सचिव अदालत को इसकी जानकारी दें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता तनवीर अहमद, पृथ्वीपाल, नीतीश जोशी, जिया उल हक और गुलाम नूरानी पैरवी के लिये पेश हुए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया था कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट व उसके नियम-विनियम के तहत 66.67 प्रतिशत सीधी आई.ए.एस. भर्ती से और 33.33 प्रतिशत राज्य के प्रशासनिक अफसरों की पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अपवाद परिस्थिति में ही इस 33.33 प्रतिशत कोटे में से 15 फीसदी पद अन्य सेवा के अफसरों से भरे जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से हर साल अन्य सेवा के अफसरों से आई.ए.एस. पद पर पदोन्नति देने की परंपरा बना ली है। पूर्व में गैर आर.ए.एस. से पदोन्नत हुए आई.ए.एस. का पद खाली होने पर राज्य सरकार इस पद को गैर आर.ए.एस. को ही पदोन्नत कर भरती है। ऐसे में राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर गैर आर.ए.एस. की पदोन्नति के लिए कोटा तय नहीं कर सकती। यह न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए तय किए पदोन्नति के पदों पर भी अतिक्रमण है।

जिरह के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को कहा कि पिछली सरकार में जो नीति अपनाई गई थी कि गैर आर.ए.एस. से आई.ए.एस. पदों पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मर्यादाओं को ताक में रखा मोदी ने'

नयी दिल्ली, 05 दिसम्बर (वार्ता)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि इंडिया समूह के नेता संसद में अडानी भ्रष्टाचार मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मर्यादाओं को तार-तार करके इस उद्योगपति का बचाव कर रहे हैं।

- **कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में सांसदों के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री पर अडानी के बचाव करने का आरोप लगाते हुए यह टिप्पणी की।**

संसद भवन परिसर में इस मुद्दे पर इंडिया समूह के सांसदों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रियंका ने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस महासचिव के सी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)